



106

निगरानी प्रकरण क्रमांक : /2017

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर, केम्प इन्दौर

श्री. बी. बी. उपा
17.1.17 मे
रु. 1000/-

1. रामेश्वर
रामेश्वर पिता मूलचंद चौधरी
उम्र - 60 वर्ष, धंधा - खेती
निवासी - श्रीराम मंदिर चौक, रंगवासा,
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)
2. श्रीमती नारायणीबाई पति स्व. देवराम चौधरी
उम्र - 60 वर्ष, धंधा - खेती,
निवासी - श्रीराम मंदिर चौक, रंगवासा,
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)
3. श्रीमती संगीताबाई पिता देवराम चौधरी
उम्र - 42 वर्ष, धंधा - गृहकार्य
निवासी - श्रीराम मंदिर चौक, रंगवासा,
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)
4. श्रीमती अनिताबाई पिता देवराम
उम्र - 40 वर्ष, धंधा - गृहकार्य
निवासी - श्रीराम मंदिर चौक, रंगवासा,
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)
5. श्रीमती ममताबाई पिता देवराम चौधरी
उम्र - 38 वर्ष, धंधा - गृहकार्य
निवासी - श्रीराम मंदिर चौक, रंगवासा,
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)

R 278 P 111

17/1/17
138

...प्रार्थीगण.

विरुद्ध

1. श्रीमती नंदीबाई पति उदयरामजी सिंधवी
उम्र - 80 वर्ष, धंधा - गृहकार्य,
निवासी- म.नं. - 846, ग्राम रंगवासा,
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)
2. श्रीमती पुष्पाबाई पति राधेश्याम सिंधवी
3. घनश्याम पिता उदयरामजी सिंधवी

Bonana

1000

4. ओमप्रकाश पिता उदयरामजी सिंधवी
5. कृष्णगोपाल पिता स्व. राधेश्याम सिंधवी
6. सुनील पिता स्व. राधेश्याम सिंधवी
सभी निवासीगण- म.नं. 846, ग्राम रंगवासा,
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)
7. श्रीमती प्रेमबाई पिता देवराम चौधरी
निवासी - श्रीराम मंदिर चौक, रंगवासा,
तह. व जिला इन्दौर (म.प्र.)
8. श्रीमती कांताबाई पिता देवराम चौधरी
निवासी-श्रीराम मंदिर चौक रंगवासा
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)
9. श्रीमती श्यामाबाई पिता देवराम चौधरी
निवासी-श्रीराम मंदिर चौक रंगवासा
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)
10. श्रीमान सचिव महोदय पंचायत भवन
ग्राम पंचायत रंगवासा,
तहसील व जिला इन्दौर (म.प्र.)
11. म.प्र. शासन द्वारा
जिलाधीश महोदय,
जिलाधीश कार्यालय, मोतीतबेला, इन्दौर

...प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता

इसमें प्रार्थीगण श्रीमान तहसीलदार महोदय, राज तहसील इन्दौर द्वारा
राजस्व प्रकरण क्रमांक 1/अ-70/2014-15 में पारित आदेश दिनांक
31/12/2016 से असंतुष्ट होकर नीचे लिखे आधारों पर निगरानी प्रस्तुत करते
है :-



राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 278 -पीबीआर/17

जिला इंदौर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-1-2017	<p>उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31-12-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा आवेदकगण के आवेदन पत्र पर स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये कि अनावेदक क्रमांक 9 को प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है, क्योंकि सभी प्रकरणों में वह पक्षकार रहा है तथा उसके द्वारा समय समय पर आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई है, इसलिये आवेदक की ओर से व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय किया जाना उचित प्रतीत होता है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश प्रथमदृष्टया विधिसंगत आदेश है । इसके अतिरिक्त आवेदकगण को तहसील न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है और सामान्यतः बिना साक्ष्य एवं सुनवाई के प्रकरण निरस्त करना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है । उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>